



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)
[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR
HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)
(An Institute of National Importance under Ministry of Education (Higher Education))

{संस्थान वाहन अनुभाग / Institute Vehicle Section}

संस्थान-वाहन मांग प्रपत्र / Requisition form for the Institute Vehicle

1. सम्बद्ध कार्यालय का नाम एवं अधिकारी का पदनाम जिसे आधिकारिक प्रयोजन के लिए संस्थान-वाहन की आवश्यकता है

Name & Designation of the Officer for whom Institute vehicle is required for official purpose:

2. उद्देश्य/ Purpose:-

3. अवधि / Period :-

4. रिपोर्टिंग दिनांक, समय एवं स्थान / Reporting Date, Time & place:-

5. स्थानीय/ वाहरी / Local/ Outstation :-

6. जगह का नाम / Name of the Place :-

7. बाह्य गंतव्य / Outstation :-

8. प्रस्तावित यात्रा के पक्ष/ प्रयोजन से सम्बद्ध सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पत्र Enclose Approval of the competent authority for Bonafide purpose of journey :-

(विवरण दीजिए / Give Detail)

दिनांक / Date :-

अधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of Officer

विभाग/ Department

संलग्न प्रभारी/Faculty In charge

संस्थान वाहन अनुभाग / Institute Vehicle Section

रा. प्रौ. सं. हमीरपुर (हि. प्र.) / NIT Hamirpur (HP)

कुलसचिव (Registrar)

रा. प्रौ. सं. हमीरपुर (हि. प्र.) / NIT Hamirpur (HP)

(अ) वाहन मांग प्रपत्र, जगर बाह्य यात्रा के लिए छात्रों/कर्मचारियों व संकाय सदस्यों की सूची, प्रस्तावित यात्रा के पक्ष/प्रयोजन से सम्बद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पत्र के साथ नियत यात्रा से 02 दिन पहले वाहन अनुभाग में पहुंच जाना अनिवार्य है।

For the Requirement of the vehicle (Out station Journey) the duly filled requisition form must reach the Vehicle section at least 02 Days in advance from the date of the proposed journey along with the approval of the purpose of bonafide journey by the competent authority & List of Student / Staff & Faculty Members.

(बि) आकस्मिक अथवा आपत परिस्थिति में भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु उस परिस्थिति में उचित कारण का उल्लेख अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्ति करना अनिवार्य होगा।

Vehicle can be made available under emergent and unexpected circumstances also but in that case a proper reason/approval of the competent authority must be provided for the same.